TWO RUPEES INDIA

नकल आदेश दिनांक 20-9-13
[illegible]
15 [illegible] 143 [illegible]
[illegible]
[illegible] 20-9-13

[illegible]

न्यायालय उपजिलाधिकारी केराकत।
वाद सं0 15 धारा 143 ज0वि0अधि0
मौजा पेसारा परगना व तह0 केराकत
मान्वेन्द्र सिंह बनाम गॉवसभा

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मान्वेन्द्र सिंह सुमन महाविद्यालय द्वारा डा0 सीताराम यादव मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा सुमन यादव पुत्री जयनरायन यादव साकिन लपरी तह0 शाहगंज जिला जौनपुर ने अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0 इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया है कि आराजी नं0 1577मि0 / 1.002 स्थित ग्राम पेसारा परगना व तहसील केराकत मे उपरोक्त शिक्षण संस्थान एक वैधानिक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था है और हम शायल उपरोक्त संस्था का प्रबन्धक है। उपरोक्त शिक्षण संस्था के नाम से आराजी निजाई नं0 1577मि0 / 4.039हे0 मे से रकबा 1.002 हे0 का रजिस्ट्री शुद्वा बैनामा तहरीर कराया गया है। जिसका नामान्तरण आदेश भी हो चुका है। आराजी नं0 बैसुद्वा रकबा 1.002 मौके पर काश्त नहीं की जाती है। आराजी निजाई के बयशुद्वा रकबा के चारो तरफ बाउण्ड्री बाल बन चुकी है। अन्दर स्कूल के विल्डिग का कार्य निर्माणाधीन है। आराजी निजाई का उक्त बैशुद्वा रकबा काश्त नही होता है। अनावश्यक लगान आदि की अदायगी करनी पड़ती है। अन्य अभिकथन करते हुऐ अन्त में याचना किया है कि आराजी नं0 1577मि0 / 1.002हे0 अकृषिक घोषित करने का आदेश पारित किया जाय। अपने कथन के समर्थन में नकल 1418 से 1423फ0 के खाता सं0 937 की आराजी सं0 1577 प्रस्तुत किया है।

पत्रावली आख्या हेतु तहसीलदार केराकत के यहाँ भेजी गयी। तहसीलदार केराकत की आख्या दिनांक 21.5.13 के साथ पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त करायी गयी। तहसीलदार केराकत की आख्या के अनुसार ग्राम पेसारा परगना केराकत की आराजी नं0 1577मि0 / 1.002 पर मानवेन्द्र सिंह सुमन महाविद्यालय द्वारा डा0 सीताराम यादव मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा सुमन यादव पुत्री जयनरायन साकिन लपरी का नाम बतौर बैदार अंकित है। आराजी नं0 1577मि0 के रकबा 1.002हे0 पर कृषि कार्य नही होता है। आराजी निजाई चहर दीवारी से घिरी हैं। अन्दर स्कूल का निर्माण हो रहा है। यू0पी0जे0ए0की धारा 143 के नियम 135 के तहत अकृषिक करने हेतु आख्या प्रेषित अपनी आख्या के साथ मौके की फोटो भी संलगन किया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार केराकत की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी नं0 1577मि0 / 1.002 के मालिक मानवेन्द्र सिंह सुमन महाविद्यालय द्वारा डा0 सीताराम यादव मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा सुमन यादव पुत्री जयनरायन साकिन लपरी है। उक्त आराजी के रकबा 1.002हे0 पर कृषि कार्य नही होता है। उक्त आराजी के रकबा 1.002 स्कूल के उपयोग में है। इस प्रकार आराजी नं0 1577मि0 / 1.002हे0 अकृषिक किये जाने में कोई विधिक अड़चन नही प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम पेसारा परगना केराकत की आराजी सं0 1577मि0 / 1.002हे0 अकृषिक घोषित करते हुऐ लगान मुताविक परता मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक केराकत के यहाँ भेजी जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

(ऋतु सुहास)
उप जिलाधिकारी
20 अगस्त-13

नकल पत्र का दिनांक 6/14
6 ... 13-1-14
तैयार करने की तिथि 16-1-14
जारी करने का दिनांक 16-1-14
प्रतिलिपिकर्ता के हस्ताक्षर ...
मिलान ... हरिश्चंद्र

सत्य प्रतिलिपि
16-1-14
उप जिलाधिकारी
केराकत